पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

8,886 अध्यापक होंगे नियमित

■ सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन भर्ती किए गए हैं ये अध्यापक, 3 साल के लिए 15,000 रुपए प्रति महीना वेतन दिया जाएगा

चंडीगढ़,
(मोहित): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आदर्श और मॉडल स्कूलों समेत सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) अधीन भर्ती किए गए 8,886 अध्यापकों की सेवा नियमित करने को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करते हुए मंत्रिमंडल ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत भर्ती 7,356 अध्यापकों, रमसा के तहत 1,194 अध्यापकों, मॉडल स्कूलों के 220 और आदर्श स्कूलों के 116 अध्यापकों की सेवाएं नियमित करने का फैसला किया है।

इसका खुलासा करते हुए बुधवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कमेटी ने स्कूल शिक्षा विभाग में इन असामियों को पैदा करके सभी अध्यापकों व मुलाजिमों का विलय करके इनकी सेवाएं नियमित करने की सिफारिश इस शर्त पर की है कि इनको 3 साल के लिए 10,300 रुपए प्रति महीना (रैगुलर वेतन स्केल की प्राथमिक वेतन) भुगतान किया जाएगा परन्तु कैबिनेट ने उनको 15,000 रुपए प्रति महीना वेतन देने का फैसला किया है। 3 साल की सफलतापूर्वक सेवा मुकम्मल होने के बाद इनकी सेवाओं को नियमों के अधीन विभाग में नियमित कर दिया जाएगा।

इस कमेटी ने यह सिफारिश भी की है कि इन अध्यापकों की वरिष्ठता को इनकी सर्विस में नियमित होने की तारीख से निर्धारित किया जाएगा। ऐसे अध्यापकों व मुलाजिमों को अपनी ऑप्शन देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। विभाग की तरफ से इन सभी अध्यापकों व मुलाजिमों की अंतर-वरिष्ठता बरकरार रखी जाएगी। यदि ऑप्शन 15 दिनों के बाद दी जाती है तो वरिष्ठता की तारीख ऑप्शन हासिल ● शेष पृष्ठ 2 पर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह, साथ हैं नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत सिंह बादल, ब्रह्म मोहिंद्रा, ओ.पी. सोनी व अन्य। (जगमोहन)

राज्य की नई खेल नीति को मंजूरी

अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के नकद ईनामों की राशि में वृद्धि

चंडीगढ़ (नरेश/मोहित): मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति-2018 को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। खेल कोटे के अधीन भर्ती करने के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी करने के मामले पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामैंटों, चैंपियनशिपों में बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए मौजूदा नकद राशि अवार्डों में भी वृद्धि करने का फैसला किया है। पैरा ओलम्पिक के मुकाबलों में रजत पदक के लिए मौजूदा नकद अवार्ड 1.01 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। इसी तरह कांस्य पदक के लिए नकद अवार्ड 51 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया है। स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद अवार्ड, 2.25 करोड़ रुपए में कोई तबदीली नहीं की गई है। एशियाई या पैरा एशियाई खेल में स्वर्ण पदक के लिए मौजूदा 26 लाख रुपए के नकद अवार्ड की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिए 16 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए मौजूदा 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए गए हैं। इसी तरह ऑफिशियल विश्व कप/चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए मौजूदा नकद ईनाम 21 लाख रुपए से बढ़ाकर 80 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 55 लाख रुपए, कांस्य पदक के लिए 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 45 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। कॉमनवैल्थ खेल/पैरा कॉमनवैल्थ खेल के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी मौजूदा 16 लाख रुपए की जगह 75 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 11 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए, कांस्य पदक के लिए 6 लाख की जगह 40 लाख रुपए का नकद ईनाम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा विश्व यूनिवर्सिटी खेल/चैंपियनशिपों में स्वर्ण पदक विजेता को 7 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 5 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए नकद ईनाम मिलेगा। सैफ खेल/एफ्रो एशियन खेल और नैशनल गेम्ज/पैरा नैशनल गेम्ज में पदक विजेता खिलाड़ियों में से स्वर्ण पदक के लिए 5 लाख रुपए, रजत के लिए 3 लाख रुपए और ● शेष पृष्ठ 2 पर

19 मार्च से पहले विकसित अवैध कालोनियां होंगी नियमित

मंत्रिमंडल ने राज्य में गत 19 मार्च से पहले विकसित अवैध कालोनियों, प्लाटों तथा भवनों को नियमित किए जाने संबंधी नीति को मंजूरी दे दी। गत 19 मार्च के बाद बनी अवैध कालोनियों के मालिक तथा नियमित कराने के लिए आवेदन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नीति के तहत इन अवैध कालोनियों में रहने वालों को बिजली, पानी, सीवरेज, सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। गत19 मार्च से पहले बनाई गई अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा। इस नीति के तहत भुगतान किए गए रैगुलराइजेशन चार्ज को समायोजित किया जाएगा। अवैध कालोनियों में पड़ने वाले प्लाटों तथा कालोनियों को नियमित करने के लिए अधिकारियों की कमेटियां गठित की जाएंगी। बैठक में अध्यादेश के जरिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में संशोधन करने का फैसला किया गया है ताकि कम से कम टैक्स की रिटर्न भरने की अदायगी को सुविधाजनक बनाया जा सके।